राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6245/2022

हेमलता कांकरिया —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 06.12.2022
आदेश की दिनांक : 11.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर उदयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.05.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति सेवा समाप्त कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी को दिनांक 13.05.2022 द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 1853/2022 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा उक्त आदेश को आदेश दिनांक 26.07.2022 (अनुलग्नक–3) द्वारा स्थगित करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया और यह भी निर्देशित किया कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे, जहां वह चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था और अपीलार्थी तब से उक्त स्थान पर कार्यरत था। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 27.07.2022 (अनुलग्नक–4) द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 10.05.2022 से वेतन नहीं दिया गया, जो उक्त आदेश की पूर्ण रूप से पालना न करना दर्शाता है। अपीलार्थी ने बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 29.07.2022

(अनुलग्नक–1) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 10.05.2022 से बकाया वेतन का भुगतान करवाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान में नियमित कर्मचारी/अधिकारी श्रीमती खुशबू शर्मा दिनांक 11.07.2022 से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उदयपुर के पद पर कार्यरत है, जिसे नियमित वेतन दिया जा रहा है तथा एक पद पर एक कर्मचारी को वेतन दिया जा सकता है। अपीलार्थी सरकारी कामकाज में रूचि नहीं लेती थी, विभागीय योजनाओं को क्रियान्वित करने में कठिनाई हो रही थी और हाल ही में उदयपुर शहर में आत्महत्या के मामलें में अपीलार्थी की भुमिका को देखते हए उनके खिलाफ पुलिस थाना सूरजपोल में एफआईआर दर्ज की गई है और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कारण से अपीलार्थी को हटाकर इस पद पर किसी अन्य अधिकारी को पदस्थापित किया गया। जिला कलक्टर उदयपुर की रिपोर्ट एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक कारणों से विभागीय आदेश दिनांक 10.05.2022 द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिकरण के स्थगन आदेश के प्रभाव स्वरूप वर्तमान में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर उदयपुर में कार्यरत है। आदेश दिनांक 10.05.2022 द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति सेवा समाप्त कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किये जाने पर अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 26.07.2022 के द्वारा उक्त आदेश को स्थगित कर दिया गया और अपीलार्थी को उसी स्थान पर पदस्थापित करने के आदेश दिए गए थे, जिसकी पालना में अपीलार्थी को उक्त आदेश जारी होने से पूर्व जहां पर वह कार्यरत था, उसे वही पदस्थापित किया गया, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 10.05.2022 से वेतन नहीं दिया जा रहा है। प्रत्यर्थी विभाग के प्रत्युत्तर के अनुसार जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उदयपुर के पद पर अन्य अधिकारी भी पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब में अपीलार्थी द्वारा विभागीय योजनाओं में रूचि नहीं लेने, उदयपुर में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने एवं उसके विरूद्ध विरोध प्रदर्शन का अंकन किया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि पूर्व में जारी अंतरिम स्थगन आदेश प्रत्यर्थी

विभाग को अन्यत्र स्थानान्तरण की liberty के साथ फाईनल हो चुका है अर्थात् प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार अपीलार्थी का अन्यत्र स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु स्वतंत्र है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं जिस पदस्थापन स्थान से ली जा रही हैं अपीलार्थी उक्त सेवाओं का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया जाना सेवा नियमों एवं विधि के विरूद्ध प्रकट होता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार अपीलार्थी का बकाया वेतन किसी भी रिक्त पद से एक माह की अवधि में आहरित किया जाकर भुगतान किया जावे। इस निर्देश के साथ अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य